(d) We are not aware whether any of the participants had such earlier training.

नेपाल में भारत-विरोधी प्रचार

3618. श्री शि० ब० सिंह :
श्री शारदानन्द :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-नेपाल के सम्बन्धों को बिगाड़ने के लिये नेपाल के कुछ लोग सक्रिय रूप से भारत-विरोधी प्रचार कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां । चीन और पाकिस्तान से निकट सम्बन्ध रखने वाले दल इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं । नेपाल-स्थित चीनी राजदूतावास ने भारत-विरोधी फिल्में दिखाकर तथा अपने अधिकृत बुलेटिनों और भाषणों में भारत और भारत के विभिन्न नेताओं का अपमानजनक उल्लेख करके भारत-विरोधी प्रचार किया है ।

(ख) भारत-नेपाल सम्बन्धों की नींव पक्की है और इस तरह की कोशिशों पर कोई खास चिंतित नहीं है । छपी हुई सामग्री के रूप में खुल्लम-खुल्ला की जाने वाली कार्रवाइयों का बराबर खंडन किया जाता है । जहां तक नेपाल-स्थित चीनी राजदूतावास की खास-खास भारत-विरोधी कार्रवाइयों का सवाल है भारत सरकार ने नेपाल सरकार का ध्यान इन अनुचित बातों की ओर आकर्षित किया है और 5 मई, 1967 को नेपाल सरकार के समक्ष विरोध प्रकट किया है । भारत सरकार को भरोसा है कि नेपाल के महामहिम की सरकार नेपाल में विदेशी मिशनों को भारत के खिलाफ़ शत्रुतापूर्ण प्रचार करने की इजाजत नहीं देगी, खासकर इन मिशनों के अधिकृत बुलेटिनों में अथवा उनकी किसी अन्य सरकारी गतिविधियों में ।

काठमांडू में चीनी राजदूतावास ने 17 जून 1967 को काठमांडू में गोचर हवाई अड्डे पर भारत-विरोधी प्रदर्शन किया । चीनियों द्वारा असभ्य, अराजनयिक और बर्बर रीति से व्यवहार करने का यह नवीनतम उदाहरण है जो कि पीकिंग में हमारे राजदूतावास के अधिकारियों के प्रति किये गये व्यवहार में बहुत-ही स्पष्ट रीति से अभिव्यक्त हुआ है । 18 जून 1967 को नेपाल-स्थित हमारे राजदूतावास ने नेपाल-स्थित चीनी राजदूतावास द्वारा भारत के प्रति—जोकि नेपाल का मित्र देश है—किये गये शत्रुवत् व्यवहार के इस प्रदर्शन के खिलाफ़ नेपाल के महामहिम की सरकार से विरोध प्रकट किया । ऐसा समझा जाता है कि नेपाल के महामहिम की सरकार ने, जिसे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ था, काठमांडू हवाई अड्डे पर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिये क़दम उठाये हैं ।

नेपाल के साथ भारत के गहरे, विविध और मैत्रीपूर्ण संबंधों के संदर्भ में, हम यह महसूस करते हैं कि कुछ अमित्र देशों द्वारा कभी-कभी उकसाई गई भ्रामक घटनाओं के बावजूद, नेपाल के लोग और विशेषकर, नेपाल के महामहिम की सरकार नेपाल में भारत के शत्रु देशों द्वारा ऐसे अनुचित और शरारतपूर्ण व्यवहार का समर्थन नहीं करेगी या उनका हौसला नहीं बढ़ायेगी ।

कभी-कभी नेपाल के कुछ अख़बारों में भारत के बारे में ग़लत बातें देखने में आई हैं । विभिन्न प्रश्नों पर अपनी नीति का समुचित प्रचार करने से और समझा-बुझाकर यथा-सम्भव इनका प्रतिकार करना ही होता है ।

पृथ्वीगंज हवाई अड्डा (उत्तर प्रदेश)

3619. श्री जागेश्वर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में पृथ्वीगंज (प्रतापगढ़) हवाई अड्डा कब से प्रयोग नहीं

किया जा रहा है और उसकी देखभाल के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं;

(ख) उक्त हवाई अड्डा कितने क्षेत्र में बना हुआ है; और

(ग) हवाई अड्डे की भूमि अन्य लोगों को किन शर्तों पर तथा किस प्रयोजन के लिये दी गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :(क) से (ग) .पृथ्वीगंज (प्रतापगढ़) का हवाई अड्डा 375.10 एकड़ भूमि पर सम्मिलित है। इसे अगस्त 1946 से प्रयोग में नहीं लाया जा रहा। रनवेज, हार्डस्टैंडिंग्स टैक्सी क्स इत्यादी पर सम्मिलित 146.10 एकड़ भूमि देख भाल के उद्देश्यों से उत्तर प्रदेश सरकार को अंतरित की गई थी। शेष 229 एकड़ कृषि उद्देश्यों से लाइसेंस पर देने के लिए प्रतापगढ़ के कालेक्टर के प्रबन्ध में दे दिया गया था। इसमें से 187.87 एकड़ प्रतापगढ़ के कालेक्टर द्वारा कृषि कार्य के लिए लाइसेंस पर दे दिया गया और 19.37 एकड़ वाटिकाओं के लिए। शेष 21.76 एकड़ क्षेत्र अनधिकृत कब्जे में है, और अतिक्रमण को दूर करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। लाइसेंस की मख्य शर्तें यह हैं :—

(1) ग्रांट निरस्त कर देने योग्य है अगर यह सर्वथा अपर्याप्त सिद्ध हो, या गर्ल्ती से गलत तरीके से या धोके से प्राप्त की गई हो।

(2) पाने वाला ग्रांट में सुरक्षित राशि वर्ष सरकार को पेशगी देगा, अन्यथा उस पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष व्याज देय होगा।

(3) पाने वाला न तो भूमि को किसी अन्य उद्देश्य के लिए सिवाय उस के कि जिस केलिए उसे वह दी गई है, इस्तेमाल करेगा, न ही किसी और को करने देगा।

(4) पाने वाला संबंधित अधिकरण की लिखित पूर्व अनुमति के बिना उस भूमि पर स्थायी या अस्थायी रूप से न तो कोई भवन, बाढ़ खड़ी करेगा न अन्य निर्माण।

(5) उस भूमि में खड़े किसी वृक्ष पर न तो पाने वाले को कोई अधिकार होगा न उसके उपभोग का।

(6) पाने वाले को अनुपाती किराये की वसूली के साथ बेदखल किया जा सकता है, जो केवल उस तिथि तक होगा जब ग्रांट समाप्त हो।

अणु शक्ति परियोजना, कोटा

3620. **श्री ब्रह्मानन्दजी :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान अणुशक्ति परियोजना, कोटा में परमाणु भट्टी लगाने वाली फर्म ने पाकिस्तान में भी ऐसे ठेके लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत तथा पाकिस्तान की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिन में इस फर्म ने ठेके लिये हैं; और

(ग) इस मामले में केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा जो जांच की जा रही है, उस में कितनी प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।